न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 52/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/000193

अपीलांट :— बनाम रेस्पोडेन्टगण :—

राजबहादुरसिंह पुत्र श्री ईश्वरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी रलावता, तहसील नाडोती, जिला करोली, हाल निवासीः— ए94, शिवपुरी, एयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर (राज.)

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
2. कैलाशचन्द्र दवे पुत्र श्री रामाकिशनजी दवे, जाति ब्राहमण, निवासी 503, नवचौकीया, सोजतसिटी, तहसील सोजतसिटी, जिला पाली (राज.)
3. बिरेन्द्र पुत्र श्री सुरजपालसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी 250, लुहारी, तहसील व जिला झज्जर (हरियाणा)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी
रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 20/9/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध आदेश तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम सुन्देलाव तहसील पाली के म्यूटेशन संख्या 530 दिनांक दिनांक 18.5.2016 को जो रेस्पोडेंट संख्या 2 के पक्ष में नामान्तरकरण पारित किया गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 530 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं तहसीलदार पाली से मूल नामान्तरकरण संख्या 530 ग्राम सुन्देलाव तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम सुन्देलाव स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 39/2 रकबा 7 बीघा 13 बीस्वा किस्म बारानी सोयम कुल 2 खसरा की रकबा 15 बीघा कृषि भूमी अपीलांट की कब्जासुदा व काश्तसुदा स्थित है अपीलांट द्वारा उक्त कृषि भूमी को बेचाण इत्यादि करने हेतु किसी भी व्यक्ति को बेचाण मुख्तियार पर वसीयतनामा नहीं किया है न ही स्वयं ने उक्त कृषि भूमी का बेचाण किया है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने उपपंजियक पाली के समक्ष एक फर्जी मुख्तियारनामा रेस्पोडेंट संख्या 3 विरेन्द्र पुत्र सुरजपालसिंह राजपूत के नाम पंजीयन करवा दिया एवं उक्त पंजीकृत मुख्तियार नामा की प्रति से दिनांक 31.3.2016 को उपपंजीयक पाली के कार्यालय में दस्तावेज बेचाण पंजीबद्ध करवा लिया जिसके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम से नामान्तरकरण संख्या 530 स्वीकृत कर दिया उक्त मुख्तियारनामा फर्जी व कूटरचित एवं जालसाजी पूर्ण मुख्तियारनामे के आधार पर एवं रजिस्टर्ड बेचाण तैयार करवा कर पारित किया हुआ है तहसीलदार पाली द्वारा बेचाणनामा के ही आधार पर जांच करने पर अपीलांट के नाम की. कृषि भूमी मौजा पादरला, सुन्देलाव व मनिहारी स्थित है का मुख्तीयार दिनांक 30.3.2016 के कूटरचित एवं फर्जी माना है जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली संलग्न है इस प्रकार फर्जी मुख्तियार नामे से निस्पादित रजिस्टर्ड दस्तावेज से पटवार हल्का द्वारा मौके पर कब्जे की बिना जांच किए अपीलांट का आराजीयात पर कब्जा [illegible] भी अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोडेंट के पक्ष में पारित किया [illegible] समस्त कार्यवाही रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा की गई है [illegible] पक्षकार नियोजित [illegible]या है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी [illegible].1.2017 को हुई ज[illegible]लांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के समक्ष विचाराधीन जांच पत्रावली में उक्त नामान्तरकरण नही करने के लिए दिए गए आवेदन पर कार्यवाही बाबत जानकारी की तो पता चला कि अपीलाधीन नामान्तरकरण 15.5.2016 को स्वीकृत हो चुका है तब अपीलांट ने दिनांक

क्रमशः.....................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:23:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

04.01.2017 को नकल हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 27.2.2017 को नकल प्राप्त होते ही दिनांक 01.3.2017 को यह अपील पेश कर दी गई जो जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर गुणावगुण पर बाद विचार जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 530 को निरस्त फरमाने के आदेश जारी करावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 530 एक पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर भरा जाकर पारित किया गया है तथा उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज राजबहादुरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह के आम मुख्तियार विरेन्द्र सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह राजपूत 250, लुहारी तहसील व जिला झज्जर हरियाणा द्वारा निस्पादित किया जाकर दस्तावेज पंजीबद्ध कराया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से नामान्तरकरण पटवार हल्का सुन्देलाव द्वारा भरा जाकर तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 16.5.2016 को पारित किया गया है। जा विधीसम्मत होने से उसे यथावत रखा जावे। एवं अगर फर्जी मुख्तियारनामें से रजिस्ट्री की गई तो अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या 3 के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी जो नहीं कराई गई है तथा इस नामान्तरकरण की अपील के जरिए नामान्तरकरण निरस्त कराकर अनुतोष प्राप्त करना चाहता है जो विधिसम्मत नहीं है अतः अपील अपीलाट विधि सम्मत नहीं होने एवं तथ्यों से परे होने से निरस्त फरमावें।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील में फर्जीवाडा एवं हक अधिकारों के प्रश्न के मध्यनजर अन्दर म्याद शुमार की जाती है नामान्तरकरण संख्या 530 के कॉलम नम्बर 14 में स्पष्ट उल्लेख है कि नामान्तरकरण उपपंजीयक पाली के यहां दिनांक 31.3.2016 के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 132 पृष्ठ संख्या 88 क्रम संख्या 2016002623 पर पंजीबद्ध होने से क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण भरा गया जो बाद जांच भू अभिलेख निरीक्षक के तहसीलदार पाली द्वारा दिनांक 18.5.2016 को पारित किया गया है। जो विधी सम्मत है। इस प्रकरण में मुख्य रूप से 2 विचारणीय बिन्दु है:-

1. क्या नामान्तरकरण दायर करते हुए प्रक्रिया का पालन हुआ है ?
2. क्या मुख्तियारनामा गलत होते हुए भी नामान्तरकरण भरा गया है ?

नामान्तरकरण के अवलोकन से कॉलम संख्या 14 के अनुसार उपपंजीयक पाली के कार्यालय में पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण भू अभिलेख निरीक्षक की बाद जांच के तहसीलदार पाली द्वारा पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया सम्बन्धी विधिक त्रुटि नहीं है अर्थात प्रक्रिया का पालन किया गया है।

मुख्तियारनामा वैध है या नहीं इसका निर्णय इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से इसे अवैध अथवा विधिविरूद्ध नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार नामान्तरकरण उपपंजीयक पाली के कार्यालय में पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर भरा गया है यदि दस्तावेज जिसके आधार पर दस्तावेज पंजीबद्ध हुआ है वह फर्जी है तो अपीलांट सक्षम न्यायालय में नियमानुसार अनुतोष प्राप्त करने हेतु चाराजोही कर सकता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है एवं तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम सुन्देलाव तहसील पाली से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 530 पारित दिनांक 18.5.16 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:23:52 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली